मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा, जिला दौसा राज.

(अतिरिक्त कार्यभार)

पीठासीन अधिकारी — प्रेम राजेश — आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(UID NO. RJ00444)

मोटर दुर्घटना दावा संख्या — **MACT Main 256/2025**

(CNR. NO. RJDS010014262025)

मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर, उम्र 46 वर्ष, निवासी—ग्राम खेड़ली, तहसील दौसा, जिला दौसा। **..प्रार्थी**

बनाम

1. अमन गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता, निवासी 37-बी, सुधाबाग सरला दयाल बाग, पुलिस थाना न्यू आगरा, जिला आगरा, यू.पी. (चालक वाहन कार No. UP-80-EY-6012)
2. संजय गुप्ता पुत्र दौलतराम गुप्ता, निवासी—37-बी, सुधाबाग सरला दयाल बाग, पुलिस थाना न्यू आगरा, जिला आगरा, यू.पी. (स्वामी वाहन कार No. UP-80-EY-6012)
3. श्रीराम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय E-8, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा, जयपुर, (बीमा कंपनी वाहन कार No. UP-80-EY-6012) **..अप्रार्थीगण**

याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित धारा 164 (क) राजस्थान मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 बाबत प्राप्त किये जाने क्षतिपूर्ति राशि

उपस्थितः—

1. श्री हाकिम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02
3. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03

–निर्णय– **दिनांक 05.08.2026**

(1) हस्तगत क्लेम याचिका प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर द्वारा अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित धारा 164 (क) राजस्थान मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध सड़क दुर्घटना में उसके स्वयं के शरीर पर आयी चोटों के कारण हुयी क्षति की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी द्वारा उक्त क्लेम याचिका इस अधिकरण में दिनांक 06.11.2025 को प्रस्तुत की गयी है, जो नियमानुसार दर्ज की गयी, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर पिकअप नंबर RJ 29 GB 2012 से खेड़ली गांव से जयपुर जा रहा था कि जैसे ही समय सुबह के करीब 10:30 बजे दौसा से आगे सैंथल रोड़ पर पिकअप को रोड़ से नीचे कच्ची पटरी पर खड़ी कर चाय पीने के लिए दुकान पर जाने के लिए खड़ा था कि दौसा की तरफ से एक फोर्ड गाड़ी No. UP-80-EY-6012 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और प्रार्थी के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटें आयी।

(3) उक्त दुर्घटना से पूर्व प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर हृष्ठ–पुष्ठ शरीर का मेहनती, होनहार व होशियार व्यक्ति था, जो ड्राईवरी व खेती का काम करके 30,000/- रूपये मासिक आय अर्जित करता था। प्रार्थी बहुत ही मेहनती था व हमेशा अधिक से अधिक आय अर्जित करने के प्रयास में रहता था। उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण प्रार्थी स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है, जिससे प्रार्थी को अपार शारीरिक व मानसिक पीड़ा पहुंची है एवं यह दुख, पीड़ा, मानसिक वेदना प्रार्थी जीवनभर सहन करता रहेगा।

(4) प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर ने अपनी क्लेम याचिका के विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि 65,00,000/- रूपये की मांग की हैं।

(5) अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक व अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी ने उक्त याचिका का जवाब प्रस्तुत कर याचिका के अधिकांश चरणों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर गलत होना बताते हुए मुख्य रूप से अंकित किया है कि वाहन कार No. UP-80-EY-6012 को उसके चालक अप्रार्थी संख्या 01 ने कभी भी गफलत व लापरवाही से नहीं चलाया है, बल्कि हमेशा यातायात नियमों की पालना करते हुए सही तरीके से उक्त वाहन का संचालन किया है। उक्त दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 01

वाहन चालक की कोई गफलत व लापरवाही नहीं रही है। फिर भी यदि माननीय न्यायाधिकरण किन्हीं सूक्ष्म कारणों से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना उचित समझे तो अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी ने अपने वाहन को अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमित करवाया हुआ है, जिससे उक्त वाहन से व उक्त वाहन में होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बीमा नियमों व एम.वी.एक्ट के तहत अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी द्वारा लिया हुआ है। अतः अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी समस्त क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु उत्तरदायी है। अंत में प्रार्थी की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(6) अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रारम्भिक आपत्तियों में मुख्य रूप से अंकित किया है कि बीमाधारक द्वारा बीमा कंपनी को कथित दुर्घटना दिवस के तथ्यों की नियमानुसार कोई सूचना नहीं दी गई है एवं ना ही कथित दुर्घटना से संबंधित कोई दस्तावेजात उपलब्ध करवाये गये हैं, जो बीमा शर्तों का उल्लंघन है। तथाकथित दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 की कोई रोजनामचा रपट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि तथाकथित दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से घटित हुई है व प्रार्थी ने तथाकथित दुर्घटना के पश्चात फर्जी तरीके से क्लेम प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलीभगत कर व पुलिस से साज करके बीमित वाहन संख्या UP-80-EY-6012 को उक्त दुर्घटना में लिप्त किया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तथाकथित दुर्घटना के दिन का कोई मेडिकल दस्तावेज, जिसमें रोड़ दुर्घटना होना अंकित हो, प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है और प्रार्थी द्वारा क्लेम लेने की नियत से बीमित वाहन को झूठा लिप्त किया गया है। साथ ही कथित दुर्घटना में कथित रूप से लिप्त वाहन संख्या UP-80-EY-6012 के चालक के पास बरवक्त कथित दुर्घटना दिवस को वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं होने की स्थिति में बीमाधारक द्वारा बीमा पॉलिसी की महत्वपूर्ण शर्त एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। अंत में प्रार्थी की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(7) पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा दिनांक 26.05.2026 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :—

1. आया दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर पिकअप नंबर RJ 29 GB 2012 से खेड़ली गांव से जयपुर जा रहा था कि समय सुबह के करीब 10:30 बजे दौसा से आगे सैंथल रोड़ पर पिकअप को रोड़ से नीचे कच्ची पटरी पर खड़ी कर चाय पीने चाय की दुकान पर जाने के लिए खड़ा था तो दौसा की तरफ से एक फोर्ड गाड़ी No. UP-80-EY-6012 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और प्रार्थी के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुयी ? **..प्रार्थी**
2. आया उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा वाहन को अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के हितार्थ, लाभार्थ व उसके प्रयोजनार्थ चलाया जा रहा था? **..प्रार्थी**
3. आया अप्रार्थीगण अपने लिखित अभिकथनों की आपत्तियों एवं विशेष कथनों के आधार पर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते है, या नहीं ? ..**अप्रार्थीगण**
4. आया प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां, तो किस–किस अप्रार्थीगण से कितनी–कितनी राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? **..प्रार्थी**
5. अनुतोष ?

(8) प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी/आहत मुकेश कुमार गुर्जर ए डब्ल्यू 01 को साक्ष्य का शपथपत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत 26 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। अप्रार्थीगण की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई गई है।

(9) बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के दौराने बहस क्लेम याचिका में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क रहे हैं कि दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर पिकअप नंबर RJ 29 GB 2012 से खेड़ली गांव से जयपुर जा रहा था कि समय सुबह के करीब 10:30 बजे दौसा से आगे सैंथल रोड़ पर पिकअप को रोड़ से नीचे कच्ची पटरी पर खड़ी कर चाय पीने के लिए दुकान पर जाने के लिए खड़ा था तो दौसा की तरफ से एक फोर्ड गाड़ी No. UP-80-

EY-6012 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और प्रार्थी के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त दुर्घटना वाहन कार No. UP-80-EY-6012 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 की तेजगति, गफलत, लापरवाही व असावधानी से वाहन चलाने के कारण घटित हुई है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक उत्तरदायी व जिम्मेदार है। उक्त दुर्घटना बाबत पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा में एफ.आई.आर. नंबर 302/2025 दर्ज की गई एवं बाद तफ्तीश पुलिस द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अंतर्गत धारा 281, 125 (a), 125(b) भारतीय न्याय संहिता के तहत चालान पेश किया गया। अंत में प्रार्थी की क्लेम याचिका स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने का निवेदन किया।

(10) इसके प्रतिवाद में अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक एवं अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क रहे हैं कि वाहन संख्या UP-80-EY-6012 को अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा कभी भी तेजगति, गफलत व लापरवाही से नहीं चलाया है, बल्कि हमेशा सही तरीके से यातायात नियमों का पालन करते हुए ही चलाता है। उक्त दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक की किसी प्रकार की गफलत व लापरवाही नहीं रही है। फिर भी माननीय न्यायालय यदि किन्हीं सूक्ष्म कारणों से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना न्यायोचित समझे तो अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी ने अपने वाहन कार संख्या UP-80-EY-6012 को अप्रार्थी संख्या 03 से बीमित करवाया हुआ है, इसलिए वाहन से होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी है। अंत में प्रार्थी की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(11) अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के तर्क रहे हैं कि तथाकथित दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को बीमित वाहन कार संख्या UP-80-EY-6012 के स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 ने तथाकथित दुर्घटना की सूचना अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी को नहीं देकर बीमा संविदा व बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है और तथाकथित दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 के बाबत कोई रोजनामचा रपट प्रार्थी की ओर प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि तथाकथित दुर्घटना

किसी अज्ञात वाहन से घटित हुई है व प्रार्थी ने फर्जी तरीके से क्लेम प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलीभगत कर एवं पुलिस से साजकर बीमित वाहन को मिथ्या लिप्त किया है व गलत तरीके से चालान पेश करवाया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि वाहन चालक द्वारा वैध एवं प्रभावी लाईसेंस के बिना वाहन का संचालन किया जा रहा था, जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अंत में प्रार्थी की क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

(12) उभयपक्षकारान विद्वान अभिभाषकगण के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिवचनों, मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए अधिकरण द्वारा विरचित विवाद्यकों पर अधिकरण का निर्णय निम्न प्रकार से है :-

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

(13) इस विवाद्यक के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में सर्वप्रथम पत्रावली पर प्रार्थी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें स्वयं प्रार्थी/आहत **मुकेश कुमार गुर्जर ए डब्ल्यू 01** ने अपने साक्ष्य के शपथ-पत्र में मूल याचिका के समान ही कथन किये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श 01, रोजनामचा रपट प्रदर्श 02, चार्जशीट प्रदर्श 03, नक्शा मौका प्रदर्श 04, इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श 05, एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श 06, नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श 07, नोटिस धारा 134 एम.वी. एक्ट प्रदर्श 08, फर्द जब्ती कार प्रदर्श 09, फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श 10, एम.आई. प्रदर्श 11, आर.सी. प्रदर्श 12, डी.एल. प्रदर्श 13, इंश्योरेन्स प्रदर्श 14, पी.डी. प्रमाण पत्र प्रदर्श 15, रेफर टिकट प्रदर्श 16, उपचार पर्ची प्रदर्श 17, डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 18, उपचार पर्चियां प्रदर्श 19 लगायत 22, गाड़ी छोड़ने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श 23, आधारकार्ड प्रदर्श 24, डी.एल. प्रदर्श 25 एवं पैनकार्ड प्रदर्श 26 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। <u>अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता</u> द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरी गलती से हुई हो। टक्कर मारने वाली गाड़ी का रंग सफेद था। टक्कर मारने वाली गाड़ी के नंबर मैंने स्वयं ने देखे थे। <u>अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के अधिवक्ता</u> द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कहा है कि यह बात सही है कि मैंने मेरे आय, व्यवसाय एवं याचिका में बताये गये मदों के

खर्चे व क्षति के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। बरवक्त दुर्घटना मैं बाईक नहीं चला रहा था, बल्कि पैदल ही खड़ा था। यह कहना गलत है कि टक्कर मारने वाला वाहन टक्कर देकर भाग गया हो। पुलिस मौके पर आ गयी थी। यह कहना गलत है कि मैं स्वयं अपनी गलती से सड़क क्रॉस करते समय किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया हो।

(14) इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के अनुसार हस्तगत प्रकरण में दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर पिकअप नंबर RJ 29 GB 2012 से खेड़ली गांव से जयपुर जा रहा था कि समय सुबह के करीब 10:30 बजे दौसा से आगे सैंथल रोड़ पर पिकअप को रोड़ से नीचे कच्ची पटरी पर खड़ी कर चाय पीने के लिए दुकान पर जाने के लिए खड़ा था तो दौसा की तरफ से एक फोर्ड गाड़ी No. UP-80-EY-6012 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और प्रार्थी के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटें आयी। इस संबंध में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि प्रकरण में जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 01 दर्ज करवाई गई है, वह प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के पुत्र गौरव गुर्जर द्वारा दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को ही मुख्य रूप से इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि ''दिनांक 12.08.2025 को समय 10:30 AM पर मेरे पिताजी मुकेश पुत्र रामसिंह दौसा से जयपुर (वाया सैंथल) रोड़ से पिकअप गाड़ी नंबर RJ 29 GB 2012 लेकर जा रहे थे कि चाय–पानी के लिए ड्रीम मोटर्स, सैंथल रोड़ के पास गाड़ी को सही साईड में खड़ी करके दुकान पर जा रहे थे तभी दौसा की तरफ से एक Ford गाड़ी No. UP-80-EY-6012 तेजगति व लापरवाहीपूर्वक लहराते हुए आ रही थी, जिसने मेरे पिताजी के टक्कर मार दी, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आयी और उनका पैर टूट गया। आसपास के लोगों व पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से रामकरण जोशी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से खण्डेलवाल अस्पताल, दौसा में रैफर कर दिया, जहां अभी ईलाज चल रहा है .....इत्यादि।'' इसके लिए अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के तर्क रहे हैं कि उक्त दुर्घटना उनके बीमित वाहन से नहीं होकर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घटित हुई है और बीमित वाहन को उक्त प्रकरण में गलत तरीके से लिप्त किया गया है तथा दुर्घटना दिनांक के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि याचिका में बीमित वाहन को क्लेम लेने के लिए मिथ्या लिप्त किया गया है।

(15) इस संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यानुसार प्रार्थी/आहत मुकेश कुमार गुर्जर को दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को ही समय 10:21 AM पर श्री रामकरण जोशी राजकीय सामान्य जिला चिकित्सालय, दौसा में ईलाज हेतु ले जाया गया, जिसके लिए पत्रावली में श्री रामकरण जोशी राजकीय सामान्य जिला चिकित्सालय, दौसा की ईलाज की पर्ची प्रदर्श 17 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें A/H/O RTA अंकित है एवं प्रार्थी की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को ही समय 11:00 AM पर एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर रैफर किया गया है, जिसके लिए आपातकालीन उपचार/रेफर स्लीप प्रदर्श 16 भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें भी RTA अंकित है। इसके बाद प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर को दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को ही खण्डेलवाल नर्सिंग होम, दौसा में भर्ती करवाया गया, जिसके संबंध में पत्रावली में प्रार्थी का खण्डेलवाल नर्सिंग होम, दौसा का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 18 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 से दिनांक 14.08.2025 तक भर्ती रहा, जहां दिनांक 12.08.2025 को ही उसके दायें पैर की टिबिया बोन का ऑपरेशन किया गया और दिनांक 14.08.2025 को डिस्चार्ज हुआ। इस प्रकार उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी के उक्त दुर्घटना में साधारण एवं गंभीर चोटें आयी हैं। इसके अलावा प्रार्थी के ईलाज से संबंधित अन्य दस्तावेजात चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 05 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श 06 भी पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिनसे उक्त दुर्घटना होने की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया गया दुर्घटना दिनांक का रोजनामचा का विवरण प्रदर्श 02 भी पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार ''पंखीराम हैड कानि. 07, बसवीर सिंह कानि. 470 मय बोलेरो सरकारी चालक धान्धुराम 383 के बहवाले रोज आम रपट का रवानाशुदा हाजिर थाना आया व दर्ज कराया कि थाने से रवाना होकर मुताबिक इतला के ड्रीम मोटर्स के पास सैंथल रोड़, दौसा पहुंचा जहां पर दुर्घटना कारित वाहन नं. यू.पी. 80 ई.वाई. 6012 दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में रोड़ के साईड में खड़ी थी व दुर्घटना के बारे में मौके पर मौजूद लोगों से पूछा तो बताया कि घायल मजरूब को राजकीय चिकित्सालय, दौसा भिजवा दिया गया है, जिन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपनी पिकअप गाड़ी को रोड़ के सही साईड में खड़ी कर गाड़ी से नीचे उतरकर चाय की होटल पर जाने के लिए रोड़ के नीचे खड़ा था तो दौसा की तरफ से एक फोर व्हीलर गाड़ी नंबर यू.पी. 80 ई.वाई. 6012 के चालक ने रोड़ के साईड में खड़े व्यक्ति के टक्कर मार दी, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल भिजवा दिया है व मौके

पर खड़ी दुर्घटना कारित वाहन का चालक अमन गुप्ता उपस्थित मिला, जिस पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मय चालक को हमरा लेकर हाजिर थाना आया एवं वाहन को सुरक्षार्थ हेतु थाना परिसर में खड़ा करवाया जाकर मौजूदा संतरी को संभलाया गया। तत्पश्चात यहां से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय, दौसा पहुंचा जहां पर सड़क दुर्घटना में मजरूब मुकेश गुर्जर पुत्र श्री रामसिंह गुर्जर जैर ईलाज राजकीय चिकित्सालय, दौसा में भर्ती मिला।'' उक्त रोजनामचा रपट दिनांक 12.08.2025 को 18:53 PM की है, इसके अनुसार वाहन नंबर UP 80 EY 6012 द्वारा रोड़ की सही साईड में खड़े मजरूब मुकेश कुमार के टक्कर मारी व मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा उसे ईलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय, दौसा भिजवाया गया तथा वाहन नंबर UP 80 EY 6012 दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में रोड़ के साईड में ही खड़ी होना व वाहन चालक अमन गुप्ता उपस्थित होना स्पष्ट है, जिससे उक्त दुर्घटना होने पुष्टि हो रही है। जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा इसकी संपुष्टि स्वयं प्रार्थी/आहत मुकेश कुमार गुर्जर ए डब्ल्यू 01 के सशपथ बयानों से भी होती है।

(16) इस प्रकार उपरोक्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा उक्त दिनांक को कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई हो और प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलकर व पुलिस से साजकर प्रश्नगत वाहन नंबर UP 80 EY 6012 को उक्त दुर्घटना में गलत रूप से संलिप्त किया हो। जहां तक बीमित वाहन को दुर्घटना में झूठा लिप्त करने का प्रश्न है ? तो इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान किया गया है और बाद विस्तृत अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक अमन गुप्ता के विरूद्ध धारा 281, 125 (a), 125 (b) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप–पत्र प्रदर्श 03 प्रस्तुत किया गया है। इसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई है, इसलिए बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के यह तर्क कि उक्त दुर्घटना उनके बीमित वाहन से नहीं होकर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घटित हुई हो और बीमित वाहन को उक्त प्रकरण में गलत तरीके से लिप्त किया गया हो, अधिकरण के विनम्र मतानुसार माने जाने योग्य नहीं है।

(17) जहां तक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का प्रश्न है, तो प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर ने अपनी सशपथ साक्ष्य में दिनांक 12.08.2025 को समय सुबह करीब 10:30 बजे वाहन कार नंबर UP 80 EY 6012 के चालक/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दौसा से आगे सैंथल रोड़ पर नीचे कच्ची पटरी पर खड़े के टक्कर मारना बताया है, जिससे उसके शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटें आयी। उक्त दुर्घटना के पश्चात उसी दिन प्रार्थी को रामकरण जोशी राजकीय अस्पताल, दौसा में ईलाज हेतु ले जाया गया किन्तु प्रार्थी की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को ही एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर रैफर किया गया। इसके पश्चात प्रार्थी मुकेश कुमार को दिनांक 12.08.2025 को खण्डेलवाल नर्सिंग होम, दौसा में भर्ती करवाया गया, इसके लिए प्रार्थी के ईलाज से संबंधित दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रकरण में प्रार्थी के पुत्र द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा दौराने अनुसंधान दुर्घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया है, जो प्रदर्श 04 है, जिसमें दुर्घटना दौसा से सैंथल–मनोहरपुर की ओर जाने वाले NH-148 पर "X" स्थान पर होना बताया है, जिसके सामने C स्थान पर केसरया मीना की चाय की केबिन व B स्थान ड्रीम मोटर्स को दर्शाया गया है, जिसकी ताईद दुर्घटना दिनांक की <u>रोजनामचा रपट प्रदर्श 02</u> से भी हो रही है, जिसमें वाहन कार नंबर UP 80 EY 6012 दुर्घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिलना तथा वाहन चालक अमन गुप्ता भी दुर्घटनास्थल पर मौजूद होना बताया है, जिसकी संपुष्टि प्रार्थी मुकेश कुमार की सशपथ साक्ष्य से भी हो रही है, जिसने दौराने जिरह कहा है कि जब दुर्घटना हुयी तब मैं बाईक नहीं चला रहा था, बल्कि पैदल ही खड़ा था और मौके पर पुलिस नहीं आयी थी तथा टक्कर मारने वाला वाहन घटनास्थल पर ही खड़ा था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा वाहन Ford Figo कार नंबर UP 80 EY 6012 को दुर्घटना के बाद दिनांक 24.09.2025 को जरिये फर्द जब्त किया गया है, जिसकी संपुष्टि वाहन की फर्द जब्ती प्रदर्श 09 से हो रही है, जिसमें वाहन के आगे की नंबर प्लेट नहीं होने का अंकन है और उक्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना किया गया है, जो प्रदर्श 11 है, जिसमें वाहन में कोई टूट–फूट नहीं है तथा वाहन चालू हालत में होने का अंकन है। इसके पश्चात विस्तृत अनुसंधान के बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक अमन गुप्ता के विरूद्ध अंतर्गत धारा 281, 125 (a), 125 (b) BNS के तहत उसकी गलती व लापरवाही मानते हुए सक्षम न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत

किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन कार नंबर UP 80 EY 6012 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दौसा से सैंथल–मनोहरपुर की ओर जाने वाले एन एच 148 पर केसरया मीना की चाय की केबिन व ड्रीम मोटर्स के सामने रोड़ के साईड में कच्ची पटरी पर खड़े आहत/प्रार्थी के टक्कर मारने से कारित हुई है। जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई गई है, इसलिए अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषक के यह तर्क कि उक्त दुर्घटना उनके वाहन से नहीं होकर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घटित हुई हो एवं बीमित वाहन को उक्त दुर्घटना में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया हो, अधिकरण के विनम्र मतानुसार माने जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए यह संभावनाओं की आधिक्यता तक प्रकट हुआ है कि ''दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर पिकअप नंबर RJ 29 GB 2012 से खेड़ली गांव से जयपुर जा रहा था कि समय सुबह के करीब 10:30 बजे दौसा से आगे सैंथल रोड़ पर पिकअप को रोड़ से नीचे कच्ची पटरी पर खड़ी कर चाय पीने के लिए दुकान पर जाने के लिए खड़ा था तो दौसा की तरफ से एक फोर्ड गाड़ी No. UP-80-EY-6012 को उसका चालक बहुत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए लाया और प्रार्थी के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटें आयी।'' अतः उपरोक्तानुसार विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

(18) इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस प्रदर्श 07 के जवाब में अप्रार्थी संख्या 02 संजय गुप्ता ने वाहन नंबर UP 80 EY 6012 का रजिस्टर्ड स्वामी होना एवं बरवक्त दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को वाहन को अपने पुत्र अमन गुप्ता/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा चलाना जाना बताया है, जिसे अमन गुप्ता ने धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस प्रदर्श 08 के जवाब में वाहन गाड़ी नंबर UP 80 EY 6012 को बरवक्त दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को समय 10:00 AM पर स्वयं द्वारा चलाया जाना स्वीकार किया है। अतः यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक द्वारा वाहन को अप्रार्थी संख्या 02 वाहन स्वामी के निर्देशन में एवं उसी के लाभार्थ और

हितार्थ चलाया जा रहा था। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 03</u>

(19) इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। इस विवाद्यक के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई है। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने याचिका के जवाब में वाहन कार नंबर UP 80 EY 6012 को उनके यहां बीमित होना स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी ने अपने जवाब में हालांकि प्रश्नगत वाहन कार नंबर UP 80 EY 6012 के चालक की तेजगति, गफलत व लापरवाही नहीं बतायी है, किन्तु पुलिस द्वारा इस प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान के पश्चात् वाहन चालक अमन गुप्ता के विरूद्ध अंतर्गत धारा 281, 125(a), 125(b) BNS के तहत आरोप–पत्र पेश किया गया है, जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से सक्षम स्तर पर कोई कार्यवाही की गई हो या कोई अपील/रिवीजन सक्षम न्यायालय में की गई हो, ऐसी कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित/प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 01 वाहन चालक अमन गुप्ता का ड्राइविंग लाईसेंस प्रदर्श 13 है, जो कि दिनांक 19.08.2019 को जारी किया गया है तथा दिनांक 18.08.2039 तक नोन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी है और दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को होना बताया है, इसलिए उक्त वाहन चालक अमन गुप्ता का ड्राईविंग लाईसेंस दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी था। प्रश्नगत वाहन कार नंबर UP 80 EY 6012 की बीमा पॉलिसी प्रदर्श 14 प्रस्तुत की गई है, जो कि दिनांक 28.02.2025 से दिनांक 27.02.2026 तक के लिए जारी की गयी है तथा दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को होना बताया है, इसलिए उक्त बीमा दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी था। इसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे बीमा की शर्तों का उल्लंघन होना माना जा सके। अतः इन सब परिस्थितियों में उपरोक्तानुसार पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में यह विवाद्यक अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 04</u>

(20) विवाद्यक संख्या 04 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह विवाद्यक प्रार्थी को दिलवायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि से संबंधित है। अधिकरण को यह निर्धारण करना है कि यह राशि क्या हो ?

(21) प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर ने अपनी मूल क्लेम याचिका में अंकित किया है कि दुर्घटना से पूर्व वह हृष्ठ–पुष्ठ शरीर का मेहनती, होनहार व होशियार व्यक्ति था, जो ड्राईवरी व खेती का काम करके 30,000/- रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था तथा याचिका के विभिन्न मदों में कुल 65,00,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है किन्तु दौराने **प्रतिपरीक्षण** यह स्वीकार किया है कि ''मैंने मेरे आय, व्यवसाय व याचिका में बताये गये मदों के खर्चे व क्षति के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं करना बताया है।'' ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय प्रार्थी की मासिक आय 30,000/- रूपये अर्जित करना नहीं माना जा सकता है। किन्तु प्रार्थी/आहत मुकेश कुमार गुर्जर ने अपना ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 25 पत्रावली में प्रस्तुत किया है, जो केवल दिनांक 23.03.2032 तक LMV, MCWG चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल या कॉमेर्शियल व्हीकल चलाने के लिए वैध नहीं है, जिसके अनुसार अधिकरण के विनम्र मतानुसार यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर बरवक्त दुर्घटना चालक/ड्राईवरी का कार्य करता हो। अतः प्रार्थी को बरवक्त दुर्घटना अकुशल श्रमिक होना माना जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना उचित है। दुर्घटना की दिनांक 12.08.2025 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक कर्मकार की मासिक आय 7,410/- रूपये होने के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जानी है।

(22) जहां तक प्रार्थी की आयु का प्रश्न है, तो मूल क्लेम याचिका में प्रार्थी ने अपनी आयु 46 वर्ष अंकित की है तथा पत्रावली पर प्रार्थी/आहत मुकेश कुमार गुर्जर का आधारकार्ड प्रदर्श 24, ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 25 एवं पैनकार्ड प्रदर्श 26 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें उसकी जन्मतिथि 01.01.1979 अंकित है, इसलिए दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर की आयु लगभग 46 वर्ष 07 माह निर्धारित की जाती है, जिसके आधार पर उसकी उम्र 46 से 50 वर्ष के आयु–वर्ग के मध्य माना जाना उचित है।

(23) प्रार्थी की ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय, दौसा के 03 चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 15 पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी के शरीर पर 29.80 % स्थायी निर्योग्यता कारित होना अंकित किया गया है, लेकिन यह स्थायी निर्योग्यता प्रार्थी के संपूर्ण शरीर के संबंध में है या उसके शरीर के उस भाग के संबंध में है जहां पर चोटें कारित हुयी है, यह तथ्य अंकित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **राजकुमार बनाम अजय,**

(2011) 1 सुप्रीम कोर्ट कैसेज पेज 343 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यदि आहत/प्रार्थी को कारित हुई संपूर्ण चोट के सामूहिक प्रभाव से आहत के संपूर्ण शरीर की कार्यक्षमता में कमी आती है, उस परिस्थिति में स्थायी निर्योग्यता को समग्र शरीर की निर्योग्यता के रूप में अवधारित किया जाना चाहिए। यदि अशक्तता प्रमाण–पत्र अंग विशेष अशक्तता के बारे में वर्णित करता है तो उसे संपूर्ण शरीर की अशक्तता नहीं मानी जा सकती है। किसी अंग विशेष की अशक्तता संपूर्ण शरीर की कार्य क्षमता को किस प्रकार एवं किस स्तर तक प्रभावित करता है, उसी के आधार पर शरीर की स्थायी निर्योग्यता का आंकलन किया जावेगा। चूंकि प्रार्थी की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श 05, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श 06, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श 15 एवं डिस्चार्ज समरी प्रदर्श 18 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी के दायें पैर की टिबिया व फिबुला बोन में फ्रैक्चर होना बताया है एवं शरीर पर अन्य जगह चोटें आयी है, जिसके कारण प्रार्थी को चलने–फिरने, अपने दैनिक कार्य करने में तथा वजन उठाने में काफी परेशानी होती है। जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः पत्रावली पर आयी समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में उसकी स्थायी निर्योग्यता 21 % माना जाना न्यायोचित है।

(24) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.एल.पी. (सिविल) नंबर – 25590/14 नेशनल इंश्यो.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य निर्णीत दि. 31.10.17** में यह माना है कि जहां आहत/प्रार्थी अस्थाई रूप से स्वनियोजित तौर पर कार्य कर रहा हो और उसकी आयु 40 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य की हो तो उस स्थिति में उसकी मासिक आमदनी 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि की जायेगी। अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन लेने पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं आहत/प्रार्थी की आयु को मद्देनजर रखते हुए आहत/प्रार्थी की उपरोक्त आमदनी में 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार आहत/प्रार्थी की उपरोक्त आमदनी में 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि करते हुए आहत/प्रार्थी की वार्षिक आमदनी – 7,410 + 25% = 9,262.50/- रूपये है, जो राउण्ड ऑफ कर 9,263/-रूपये निर्धारित किया जाना उचित है।

(25) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य (2009) 6 सुप्रीम कोर्ट कैसेज पेज 121** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर की आयु 46 से 50 वर्ष के मध्य होने के

आधार पर 13 का गुणक प्रयोग में लाया जाना न्यायसंगत है। अतः आय की क्षतिपूर्ति हेतु निम्न प्रकार गणना की जाती है :– 9,263 X 12 X 13 X 21 % = 3,03,455.80/- रूपये है, जो राउण्ड ऑफ कर 3,03,456/- रूपये का प्रतिकर दिलवाया जाना न्यायोचित है।

(26) प्रार्थी की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श 05, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श 06, स्थायी अयोग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श 15 एवं डिस्चार्ज समरी प्रदर्श 18 के अनुसार प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के दायें पैर की टिबिया व फिबुला बोन में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण उसे चलने–फिरने व काम करने में तथा वजन उठाने में काफी परेशानी होती है, इसलिए उसको कारित होने वाली मानसिक व शारीरिक पीड़ा, वेदना, स्वास्थ्य लाभ, परिवहन, पौष्टिक आहार एवं भविष्य के ईलाज हेतु इत्यादि सभी मदों में एकमुश्त राशि के रूप में प्रार्थी को 70,000/- रूपये दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(27) इसके अतिरिक्त प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर के खण्डेलवाल नर्सिंग होम, दौसा के डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 18 के अनुसार वह दुर्घटना दिनांक 12.08.2025 से दिनांक 14.08.2025 तक कुल 03 दिन तक अस्पताल में भर्ती एवं ईलाजरत रहा, इसलिए प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर को कुल 03 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 600/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 600 X 03 = 1,800/- रूपये दिलवाया जाना न्यायसंगत है।

(28) प्रार्थी की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श 05 एवं एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श 06 के अनुसार उसके 05 चोटें साधारण प्रकृति की आना अंकित है। अतः प्रार्थी को उसके शरीर पर आयी 05 साधारण प्रकृति की चोटों के लिए 3,500 X 05 = 17,500/- रूपये क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना न्यायसंगत है।

(29) प्रार्थी ने स्वयं के ईलाज के संबंध में कोई मेडिकल बिल प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः प्रार्थी को इस मद में कोई क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना न्यायसंगत नहीं है।

(30) अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दुर्घटना में कारित चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी को प्रतिकर राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क्र.सं.	**मद**	**गणना राशि रूपयों में**
1.	स्थायी निर्योग्यता से हुयी भविष्यवर्ती आय की क्षतिपूर्ति के मद में	3,03,456/- रूपये

2.	शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा एवं वेदना इत्यादि के मद में	70,000/- रूपये
3.	अस्पताल में भर्ती रहने के मद में	1,800/- रूपये
4.	साधारण प्रकृति की चोटों के मद में	17,500/- रूपये
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**3,92,756/- रूपये**

(31) इस प्रकार प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर, अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि **3,92,756/-रूपये (अक्षरे तीन लाख बानवे हजार सात सौ छप्पन रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>अनुतोषः–</u>

(32) इस प्रकार प्रार्थी मुकेश कुमार गुर्जर, अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि **3,92,756/-रूपये (अक्षरे तीन लाख बानवे हजार सात सौ छप्पन रूपये)** प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर प्रार्थी ने पूर्व में कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की है तो वह राशि उक्त क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे। समायोजन के पश्चात शेष बची राशि पर क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 06.11.2025 से वसूली तक 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>:: पंचाट ::</u>

(33) निष्कर्षतः प्रस्तुत क्लेम याचिका प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अंतिम पंचाट इस कदर पारित किया जाता है कि प्रार्थी प्रतिकर राशि स्वरूप कुल **3,92,756/-रूपये (अक्षरे तीन लाख बानवे हजार सात सौ छप्पन रूपये)** में से अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि अगर प्राप्त की हो तो उसे समायोजित करने के पश्चात शेष राशि 7.5% प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्लेम याचिका पेश करने की तिथि 06.11.2025 से अदायगी तक अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(34) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थी को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः–

क्र.सं.	नाम प्रार्थी	बचत खाता	सावधि खाता	अवधि
1.	मुकेश कुमार गुर्जर	1,92,756/- रूपये एवं देय ब्याज	02 लाख	02 वर्ष

(35) उक्त क्लेम याचिका में अप्रार्थी संख्या 01 ता 03, प्रार्थी को देय क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **WP (C) 534/2020 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य** में दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के यूको बैंक, नया कटला दौसा में संचालित चालू खाता संख्या **04610210002988, IFSC CODE UCBA0000461** में जरिये **NEFT** या **RTGS** के माध्यम से 30 दिवस में जमा करवाये एवं इस अधिकरण को इसकी सूचना प्रस्तुत करे। उक्त राशि जमा होने पर प्रार्थी के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रचलित सर्वाधिक लाभकारी योजना में **FDR** करवायें। शेष क्षतिपूर्ति राशि बाबत प्रार्थीगण की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(36) प्रार्थी इस आशय का शपथ पत्र भी पेश करे कि उसने पूर्व में इस दुर्घटना के संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण से कोई क्लेम प्राप्त नहीं किया है।

(प्रेम राजेश)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
दौसा, जिला दौसा–राजस्थान

(37) उक्त निर्णय/पंचाट आज दिनांक 05.08.2026 को खुले अधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रेम राजेश)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
दौसा, जिला–दौसा राजस्थान